



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932

No. 140]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISAKHA 14, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010

(2010 का संख्यांक 02)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

सं. 5-4/2000-प्र.एवं का.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची I की टिप्पणी 1 में, "नेटवर्क (फिक्स्ड, मोबाइल और कनवर्ज्ड नेटवर्क, विनियामक प्रवर्तन और सेवा गुणवत्ता सहित)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "फिक्स्ड, मोबाइल और कनवर्ज्ड नेटवर्क" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एम. एस. सीतारामन, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[सं. विज्ञापन III/4/142/10-असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम संख्या 5-4/2000 (प्र. एवं वि.), दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए :-

